FORM NO. III (प्रारूप संख्या–3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति. जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना

बाबू खान बनाम नायब तहसीलदार

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 23 वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/5/22	रिपोर्ट सरिश्ता होकर अपील अपीलान्ट पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कि जाकर नोटिस बनाम रेस्पो० जारी होकर पत्रावली दि० 05/5/22 को पेश हो (अनिता कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	
5/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पो० कि ओर से रीडर नायब तहसीलदार-नीमकाथाना उप०। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा भूमि ख०न० 2774 रकबा 1.48 हे. मे से 0.02 हे. भूमि पर मकान का निर्माण कर अतिक्रमण नही किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा गाव कि रंजिश व द्वेषता के कारण गलत रिपोर्ट पेश कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण कि गई भूमि का नाप भी नहीं ... है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ ... जवाब व दस्तावेज जो पेश ... निर्णय मे कोई उल्लेख नही किया गया है। इस प्रकार जो निर्णय पारित किया गया है जो न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण पारित आदेश निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा कोई नया निर्माण नही किया गया है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	जो मकान बना हुआ है जो लगभग 60-70 वर्ष पुराना है। तथा मकान में विद्युत कनेक्शन ले रखा है। अपीलान्ट के मकानो के पास और आबादी बसी हुई है। वर्ष 2022 में संशोधन विधेयक 23-3-2022 में राजस्थान विधान सभा में पारित किया गया है। जिसमे यह भी स्पष्ट किया है कि नदी नालो व पानी के बहाव क्षेत्र व मंदिर माफी की जमीन को छोड़कर अन्य बस्ती हुयी कालोनी व आबादी में 31-12-2021 तक विकसित हो चुकी है उसके पट्टे दिये जा सकेगें। सुप्रिम कोर्ट की तीन जजो की बैंच ने लिमिटेशन एक्ट 1963 के अन्तर्गत व्याख्या की है कि निजि अचल सम्पति के मामले में 30 वर्ष है। चारागाह भूमि मे कदीम से जो मकान बनाये हुए है जिनका दिनांक 28-1-2011 के निर्णय के आदेश अनुसार चारागाह में बसे व्यक्तियो के पट्टे बनाने सम्बंधित रा० सरकार व राजस्व मण्डल - अजमेर की गाईड लाईन के अनुसार चारागाह में बसी आबादी क्षेत्र के आवासीय मकानो को वहाँ से नही हटाकर उन्हें के पट्टे जारी किये जावेगे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-22 को अपास्त करवाया जावें। रेस्पो. द्वारा अपील से सम्बंधित मूल पत्रावली पेश कि गई जो शामिल पत्रावली कि गई। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया / पत्रावली [illegible] पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व [illegible] न्यायालय की पत्रावली [illegible] गया। अधिनस्थ न्यायालय कि [illegible] के अवलोकन से पाया गया कि पटवारी हल्का रोज द्वारा जो धारा 91 L.R. Act कि रिपोर्ट पेश की गई जिसमे भूमि ख० नं० 2774 रकबा 1.48 हे. किस्म चारागाह मे अपीलान्ट द्वारा 0.02 हे.	

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
[illegible] (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर अतिक्रमण करना बताया है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे नोटिस का जवाब व दस्तावेज पेश किये जो पत्रावली में शामिल है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निर्णय में इनका स्पष्ट उल्लेख नही किया है। रिर्पोट जो पटवारी हल्का द्वारा पेश कि गई उसके अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि रिर्पोट के पिछे जो नजरी नक्शा बनाया है उसमे माप नही लिख रखा है। एवं ना ही अतिक्रमण कहा व कितने रकबे पर कर रखा है वो भी नजरी नक्शा में नही है। तथा ना ही चारो तरफ का नाप अंकित कर रखा है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट ने जो तथ्य अपील में अंकित किये है वो साबित होते है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा जो धारा 91 कि रिर्पोट पेश कि गई है जो मौके पर जाकर तैयार नही कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा रिर्पोट वास्तविक तथ्यो के विपरीत पेश की गई है। जिसमें अतिक्रमित रकबे की दिशाओ का नाप जोख भी नही लिखा गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.3.2022 को जो निर्णय पारित किया गया है उससे पूर्व समस्त तथ्यो की जाच किये बिना ही किया गया है जो न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील मे जो तथ्य अंकित किये है उनकी पुष्टि होती है। तथा प्रस्तुत अपील को बल मिलता है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः उपरोक्त [illegible] के आधार पर अपील अपीलार्थी [illegible] को स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.3.22 अपास्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अतिक्रमित रकबे की मौके पर जाकर रिर्पोट मौका	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:34 IST
Reason: SelfAttested

अनिल कुमार
अति. जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

FORM NO. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...मुकाम...

....बनाम...

किस्म मुकदमा..नम्बर...वर्ष.....................

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	फर्द मय नजरी नक्शा जिसमे चारो दिशाओं का सही नाप जोख लिखा जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु उचित अवसर एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:34 IST
Reason: SelfAttested